रुपए से ऊपर के सोने और चांदी के आभूषण पकड़े गये थे । बैंक की कोई पासबुक नहीं पकड़ी गई थी । पकड़ी गई सामग्री, निर्धारिती द्वारा दी गयी सूचना तथा विभाग द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बैंकों में जमा रकम के सम्बन्ध में की गई पूछताछ भी शामिल है, कर-निर्धारण वर्ष 1954–55 से 1969–70 तक के कर-निर्धारण पूरे कर लिए गए थे । छिपायी गयी आय 26 लाख रुपए निर्धारित की गई थी और उस पर कर-निर्धारण वर्ष 1956–57 से 1969–70 तक कर-निर्धारित किया गया था । इन कर-निर्धारणों के परिणामतः 23 लाख रुपए से अधिक की मांग जारी की गई गई ।

जारी की गई इस मांग की तरफ 13 लाख रुपए से अधिक की रकम पहले ही अदा की जा चुकी है । पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से कुछ छोड़ दी गई हैं। शेष परिसम्पत्तियों को, बकाया पड़ी मांग के प्रति प्रतिभूति के रूप में रखा गया है । इस बकाया मांग में अर्थदण्ड तथा कर-निर्धारण के पश्चात् लगाया गया ब्याज भी शामिल है ।

Income tax raid on Vishnu Sugar Mills Ltd., Bihar

9235. SHRI PALAS BARMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) is it a fact that the Enforcement Branch of the Income Tax orgainsed a raid on Vishnu Sugar Mills Limited, Gopalganj, Bihar, 21, Chakraberia Lane, Calcutta 20, and the head office of the Mills Gillander House Calcutta simultaneously on 19th/20th August, 1976;

(b) is it a fact that unaccounted money, valuable jewelleries and records were seized from the respective places; and

(c) if so, what action the Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (c). Income-tax authorities conducted search and seizure operations at the premises of M/s. Vishnu Sugar Mills Ltd. and connected cases on the 19th/20th August, 1976 at calcutta, Gopal Ganj and Jasidih (Bihar). These operations resulted in seizure of cash of Rs. 55,000/-, jewellery worth Rs. 2 lakhs and books of account and documents.

In the course of proceedings under section 132(5) of the Income-tax Act, the explanation given for the source of the cash was accepted after due verification, but the cash was ajusted in the discharge of the existing tax liabilities. The jewellery was found duly accounted for and declared for wealth-tax purposes and was, therefore, released.

The seized books of account and documents have been scrutinised. Requisite enquiries are being made.

व्यापार गृहों पर बकाया कर

9236. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की आस्तियों वाले व्यापार गृह कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं । तथा उनमें से प्रत्येक पर विभिन्न प्रकार के करों की बकाया राशियां कितनी हैं; और

(ख) 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये की आस्तियों वाले व्यापार गृह कितने हैं और उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर विभिन्न प्रकार के सरकारी करों की बकाया राशियां कितनी हैं और सरकार ने इन राशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित व्यापारिक घरानों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ? प्रश्न की प्रभाव सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारिक घरानों की